2

न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– विविध आपूर्ति अपील वाद सं0–16/2009–10 मो0 अख्तर बनाम राज्य

10/2012

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
07.11.2017	*आदेश* दिनांक 27.09.2012 की संध्या में असामाजिक तत्वों द्वारा आगजनी की घटना कारित किये जाने के फलस्वरूप जिला विधि शाखा में संधारित समाहर्त्ता न्यायालय का अभिलेख जलकर नष्ट हो जाने के कारण संबंधित पक्षकारों से अभिलेख सृजन हेतु आम सूचना पत्रांक 126/विधि, दिनांक 6.11.12 प्रकाशित कराया गया। उक्त के आलोक में मो0 अख्तर पेसर स्व0 मो0 सुल्तान साकिन–मेघौना, थाना–अलौली, जिला–खगड़िया द्वारा पूरक अपील दाखिल किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील में उल्लेख किया गया है कि उनकी पत्नी के द्वारा अब्दुल खालिद एवं अन्य के विरूद्ध अलौली थाना में केस दायर किया गया था उसी के आलोक में अब्दुल खालिद एवं अन्य के द्वारा उनके खिलाफ गलत एवं झूठे तथ्यों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को आवेदन दिया गया और उनके दूकान का उचित जॉच किये एवं स्टॉक पंजी, बिक्री पंजी तथा वितरण पंजी आदि की जॉच किये ही अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जो उचित एवं न्यायसंगत नहीं है तथा यह आदेश खारिज योग्य है। उनके द्वारा अपने अपील आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा उठाव किये गये खाद्यान्न को सही मात्रा में एवं उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया जाता है। उनके द्वारा अपील को अंगीकृत कर, निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग कर सुनवाई करते हुए निम्न न्यायालय का आदेश को रद्द करते हुए आवंटन चालू करने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी के अपील आवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में मो0 अख्तर जन वितरण प्रणाली बिक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। बिक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। बिक्रेता अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया कि खद्यान्न निर्धारित मात्रा से कम नहीं दिया जाता है एवं अधिक राशि नहीं ली जाती है। इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अलौली द्वारा स्थलीय जॉच की गयी। जॉच के क्रम में 26 बी0पी0एल0 लाभार्थी एवं 17 अन्त्योदय लाभार्थी से पूछताछ एवं लिखित ब्यान लिया गया। जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट हुआ कि बिक्रेता द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न लाभार्थियों के बीच वितरण किया गया है एवं अधिक राशि ली गयी है। इस प्रकार मो0 अख्तर ज0वि0प्र0 बिक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरती गयी है। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के प्रावधानों का	

उल्लंघन है। उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायत, बिक्रेता से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अलौली के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में मो0 अख्तर ज0वि0प्र0 बिक्रेता ग्राम पंचायत मेघौना प्रखंड अलौली जिला–खगड़िया की अनुज्ञप्ति संख्या–93ए/2007 को अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 91/अनु0आ0, दिनाक 03.03.09 के द्वारा तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि बिक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा एवं उचित मूल्य मूल्य पर खाद्यान्न वितरण किया गया है। बिक्रेता के विरूद्ध गलत रूप से अनुमंडल पदाधिकारी को दुर्भावना से ग्रसित होकर आवेदन दिया गया और बिक्रेता के दूकान का उचित जॉच किये एवं स्टॉक पंजी, बिक्री पंजी तथा वितरण पंजी आदि की जॉच किये ही अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट हुआ कि बिक्रेता द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न लाभार्थियों के बीच वितरण किया गया है एवं अधिक राशि ली गयी है। इस प्रकार मो0 अख्तर ज0वि0प्र0 बिक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरती गयी है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश सम्यक तथा सही है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि बिक्रेता द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न लाभार्थियों के बीच वितरण किया गया है एवं अधिक राशि ली गयी है। इस प्रकार मो0 अख्तर ज0वि0प्र0 बिक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरती गयी है। बिक्रेता द्वारा अपने कथन के समर्थन में कि उनके विरूद्ध दुर्भावना से ग्रसित होकर आवेदन दिया गया है स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अलौली द्वारा जॉच के समय 26 बी0पी0एल0 लाभार्थी एवं 17 अन्त्योदय लाभार्थी से पूछताछ एवं लिखित ब्यान लिया गया है। उनका यह भी कहना कि वे उपभोक्ताओं को खाद्यान्न सही मात्रा में एवं निर्धारित मूल्य पर वितरण करते है, के समर्थन में कोई भी साक्ष्य एवं कागजात बिक्रेता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 91/अनु0आ0,दिनांक 03.03.2009 द्वारा बिक्रेता के अनुज्ञप्ति रद्द सम्बन्धी पारित आदेश को यथावत रखा जाता है एवं अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.

डी0 बी0 नं0 463 / विधि, दिनांक 6.12.2017

प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।~~

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

6/12/17

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा,
खगड़िया।

6/12/17